

कार्यालय सहयुक्त नियोजक, सभागीय नियोजक छाण्ड, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, उ०प्र०, अलीगंज रापिंग सेन्टर, लखनऊ ।

पत्र सं० 2651 / भू-उपयोग लखनऊ लखनऊ म०यो०/११-२००० दिनांक 27-9-2001

सेवा में,

डायरेक्टर, इन्सीट्यूट ऑफ
इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट
अलहापुरी कुसी रोड
गायत्री शक्ति पीठ के पास
लखनऊ - 226021

विषय:- लखनऊ विकास क्षेत्र की संशोधित महायोजना-2001 में
प्रस्तावित भू-उपयोग की सूचना के सम्बन्ध में ।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 25-9-2001 के संदर्भ
में संशोधित लखनऊ महायोजना-2001 के आधार पर प्रस्तावित भू-उपयोग
निम्नवत है :-

क्र०सं०	ग्राम व तहसील	खसरा सं०	प्रस्तावित भू-उपयोग
	ग्राम - आदिल नगर परगना, तहसील व जिला - लखनऊ	2	आवासीय (R2)

(केवल खसरा नम्बर)

महायोजना के अनुसार भू-उपयोग की सूचना इस प्रतिबन्ध
के साथ दी जा रही है कि प्रश्रुत भूमि का भूखण्डों में विभाजन अथवा
भूमि पर किसी प्रकार का विकास अथवा निर्माण इस क्षेत्र में लागू
अधिनियम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत
अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है ।

भवदीय,


केसकी मूरजी
सहयुक्त नियोजक।

सहयुक्त नियोजक
लखनऊ सभागीय नियोजन विभाग,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
लखनऊ